

पृष्ठका

आयुक्त,
बरेली नण्डल, बरेली

सोला में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः

विषय-

दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय

उपर्युक्त विषय की आर आपका ध्यान अवृक्ष करते हुए अवगत कराना ह कि शासनादेश दिनांक 14.7.2009 के क्रम में गठित समिति के निर्णय दिनांक 28.6.2012 के क्रम में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०यी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उपरोक्त सरकार को निम्नलिखित प्रतिदर्शों के अधीन आपत्ति नहीं है—

- | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- | विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा। |
| 2- | विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। |
| 3- | विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेंदाबी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उम्प्र०० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बैंसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा। |
| 4- | संरथा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नहीं दिल्ली/कौन्सिल फॉर डि इन्डियन रक्कूल सर्टिफिकेट इंजामिनेशन नहीं दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उम्प्र०० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रक्तः समाप्त हो जायेंगे। |
| 5- | संरथा के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमात्रां तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे। |
| 6- | कर्मचारियों की सेवा शांत बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा। |
| 7- | राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संरथा उनका पालन करेगी। |
| 8- | विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। |
| 9- | उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। |

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संरक्षा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संरक्षा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

पूर्वः
प्रतिलिपि

एनओसी.

64-71 (31)

बरेली मण्डल, बरेली

1-

2-

23-

4-

5-

6-

7-

एनओसी। / 2012-13 | निम्नांकित की सेवा में सुबनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित-

संयुक्त संघिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ

शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

जिलाधिकारी, पीलीभीत

संयुक्त शिक्षा निदेशक, वरेली मण्डल, ब

ज़िला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत

प्रबन्धक, स्वामी एजूकेशनल प्रतिनिधि संघरूल, पूरनपुर, पीलोमीट

निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय ३०प्र०, लखनऊ

आयुक्त
बरेली मण्डल, बरेली